



राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान

नई दिल्ली -110067

15 JUN 2022


सं.प्रशा./पीएफ-732/पीएस/01-राप्रसं. 1844

15 जून, 2022

कार्यालय आदेश

संस्थान के दिनांक 15.03.2022 के कार्यालय आदेश समसंख्या के क्रम में तथा जैवप्रौद्योगिकी विभाग के दिनांक 14.06.2022 के पत्र सं. एआई-16020/13/2021-एआईपीएसयू-डीबीटी के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने डॉ. पुष्कर शर्मा, स्टाफ वैज्ञानिक-VII को राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान (राप्रसं) के निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने की अवधि दिनांक 16.06.2022 से आगे तीन महीने की अवधि तक के लिए या नियमित पदधारी के नियुक्त होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की स्वीकृति दी है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(डॉ. दीपक कुमार वशिष्ठ)
वरिष्ठ प्रबंधक

प्रति:

1. डॉ. पुष्कर शर्मा, स्टाफ वैज्ञानिक - VII, राप्रसं.
2. निदेशक सचिवालय
3. सभी प्रयोगशाला प्रभारी/प्रभाग प्रभारी
4. सूचना पट्ट
5. व्यक्तिगत फाइल
6. एसबीटी के वरिष्ठ पीपीएस
7. सहायक सचिव एवं वित्त सलाहकार के निजी सचिव/संयुक्त सचिव(प्रशा.) के पीपीएस
8. डॉ. काकाली डे दासगुप्ता, वैज्ञानिक 'ई', डीबीटी
9. पीवीजीआरसी अनुभाग
10. सीवीओ, राप्रसं.



NATIONAL INSTITUTE OF IMMUNOLOGY
NEW DELHI

No. Admn/PF-732/PS/O1-NII 1884

15 JUN 2022
15 June, 2022

OFFICE ORDER

In Continuation to Institute's Office Order of even no. dated 15.03.2022, and in pursuance of Department of Biotechnology letter No. AI-16020/13/2021-AIPSU-DBT dated 14.06.2022, the Competent Authority has approved the extension of entrustment of additional charge of the post of Director, National Institute of Immunology (NII) to Dr. Pushkar Sharma, Staff Scientist-VII, NII, New Delhi for a further period of 03 months with effect from 16.06.2022 or till a regular incumbents joins, whichever is earlier.

This issues with the approval of the Competent Authority.


(Dr. Deepak Kumar Vashist)
Senior Manager

Copy to:

1. Dr. Pushkar Sharma, Staff Scientist-VII, NII
2. Director Secretariat
3. All Labs In-charges/ Divisional Heads
4. Notice Boards
5. Personal File
6. Sr. PPS to SBT
7. PS to AS & FA/PPS to JS (A)
8. Dr. Kakali Dey Dasgupta, Sc-E. DBT
9. PVGRC Section
10. CVO, NII